

राजस्व लोक अदालत केम्प भाखरसर तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 48/2018

RemsNo.

2018/01288

अपीलाण्ट :- 1 नराराम वलद कलाराम कुम्हार निवासी मेकाणियो की ढाणी
बनाम

रेस्पोंडेन्ट :- 1. मोहनराम पुत्र कलाराम कुम्हार वगैरहा निवासी मेकाणियों की ढाणी
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरुद्ध

आदेश

दिनांक:-8.06.2018

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार ग्राम पंचायत भाखरसर में प्रस्तुत की गई है।

सक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मूल ग्राम मेकाणियों की ढाणी के खसरा न0 2539, 3849/2549, 2537, 2538 में अपीलाण्ट का नामन्तरकरण संख्या 21 मे दर्ज करते समय अशुद्ध नाम चन्द्राराम पुत्र कलाराम दर्ज किया गया है। जबकि सही नाम सरकारी दस्तावेज के अनुसार नराराम पुत्र कलाराम है अतः अपीलाण्ट का सही नाम नराराम पुत्र कलाराम करने का निवेदन किया है।

उपस्थित पक्षकारान एवं सरंपच ग्राम पंचायत भाखरसर, के ब्यान अनुसार व नराराम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशनकार्ड व पटवारी पाटौदी /आरआई पाटौदी/उप तहसीलदार पाटौदी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अपीलाण्ट का राजस्व रेकॉर्ड मे चन्द्राराम पुत्र कलाराम की जगह नराराम पुत्र कलाराम नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।

पत्रावली व पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अपीलान्टगण को सुना गया। मजमे आम मे उपस्थित लोगो से पूछताछ की गई। समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाण्ट का अशुद्ध नाम चन्द्राराम पुत्र कलाराम की जगह नराराम पुत्र कलाराम करने के आदेश जारी दिए जाते है।

आदेश राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो।

(भागीरथ राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट केम्प-2018

उपस्थित अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर

बालोतरा केम्प...